उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-425/2023/2378/001-41-2023-184-Budget**-2023**
लखनऊ दिनांक 15 मई, 2023

संख्या-398/2023/2266/001-41-2023-184-Budget**-2023, दिनांक 24 मार्च, 2023**

का शुद्धि पत्र

जनपद अयोध्या में 14 धार्मिक पर्यटन स्थलों के फसाड ट्रीटमेन्ट एवं पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के कार्य की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-398/2023/2266/001-41-2023-184-**Budget-**2023**,** दिनांक 09 मई**,** 2023 के प्रस्तर-2 में अंकित तालिका के कुल योग रू0-1329.46 लाख (रू0 तेरह करोड़ उनतीस लाख छियालिस हजार मात्र) के स्थान पर कुल योग रू0- 1329.48 लाख (रू0 तेरह करोड़ उनतीस लाख अड़तालिस हजार मात्र) एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 09 मई**,** 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव**,** मा0 मंत्री**,** पर्यटन विभाग**,** उ0प्र0।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी**,** अयोध्या ।
7. प्रबंध निदेशक**,** उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0**,** लखनऊ।
8. परियोजना प्रबन्धक**,** उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0**,** लखनऊ।
9. उप निदेशक**,** पर्यटन**,** अयोध्या/देवीपाटन मण्डल**,** अयोध्या।
10. वित्त नियंत्रक**,** पर्यटन निदेशालय**,** लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in